न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 18/2021
जी.सी.एम.एस रजिस्ट्रेशन नं. :2021/23

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री संजय पंचौरी पुत्र श्री कांतिलाल पंचोरी मालिक/विक्रेता मैसर्स पंचौरी बंधु कस्टम चौराहा के निचे की तरफ बॉसवाडा जिला बॉसवाडा (राज.)। स्थायी पता – 2/88 खान्दु कोलोनी बॉसवाडा जिला बॉसवाडा (राज.)।
2. श्रीमती कान्ता देवी नागदा पत्नि प्रेमशंकर नागदा मालिक मैसर्स भगवान दास एण्ड सन्स, 151 कृषि उपज मण्डी यार्ड, उदयपुर (राज.)
3. श्री प्रदीप कुमार पुत्र गणपत राय डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षैत्र (हरियाणा) 136132
4. श्री यान्शिल गर्ग पुत्र प्रदीप कुमार डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षैत्र (हरियाणा) 136132
5. श्रीमती नीरज बाला पत्नि श्री प्रदीप कुमार डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षैत्र (हरियाणा) 136132
6. M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्र[illegible] इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–10–2020 को [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स पंचौरी बंधु कस्टम चौरा[illegible] के निचे की तरफ बॉसवाडा [illegible]सवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री संजय पंचौरी पुत्र श्री कांतिलाल पंचोरी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक कार्टून में **Basmati Rice Classic Green Label (921) के 1 किलो ग्राम वाले 18 पैकेट्स** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिस ब्राण्डेड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर मूल ही कम्पनी, पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **Basmati Rice Classic Green Label (921) के 1 किलो ग्राम वाले 4 पैकेट्स** मूल ही वास्ते जॉच खरीदे तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Basmati Rice Classic Green Label (921) के 1 किलो ग्राम वाले 4 पैकेट्स** पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी। इन खरीदशुदा उक्त 4 मूल पैकेट को कॉच के चार साफ सुखे व खाली जारो में बराबर मात्रा में (प्रत्येक जार में उक्त खाद्य पदार्थ का 1 किलो ग्राम का 1 मूल पैकेट रखकर) प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। चारो जारो को लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-630 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab से करवाने की जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/261 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 207 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Basmati Rice Classic Green Label (921)** Contravention of Regulation 2.2.2 of Food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। अभियुक्तगण सं. 1 से 6 द्वारा **Basmati Rice Classic Green Label (921)** मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। समस्त अप्रार्थीगणो के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए।

दिनांक 11.08.2021 को अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है। अप्रार्थी सं.2 एवं अप्रार्थी सं. 3 से 6 के प्रतिनिधि उपस्थित रहे किन्तु अप्रार्थी सं 2 से 6 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 2 से 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त सं. 1 को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/261 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 207 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Basmati Rice Classic Green Label (921)** Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **Basmati Rice Classic Green Label (921)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया [illegible] अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री **संजय पंचौरी पुत्र श्री कांतिलाल पंचोरी मालिक/विक्रेता मैसर्स पंचौरी बंधु कस्टम चौराहा के निचे की तरफ बॉसवाडा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

जिला बॉसवाडा को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र), श्रीमती कान्ता देवी नागदा पत्नि प्रेमशंकर नागदा मालिक मैसर्स भगवान दास एण्ड सन्स, 151 कृषि उपज मण्डी यार्ड, उदयपुर को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र), श्री प्रदीप कुमार पुत्र गणपत राय डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र), श्री यान्शिल गर्ग पुत्र प्रदीप कुमार डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षैत्र (हरियाणा) को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र), श्रीमती नीरज बाला पत्नि श्री प्रदीप कुमार डायरेक्टर M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana)-136132 निवासी 407, वार्ड नं.4, सत्यम एनक्लेव, लाडवा, कुरुक्षैत्र (हरियाणा) को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र), M/s GRM Foods pvt. ltd., Pipli Road, Ladwa- 136132, Dis. Kurukshetra (Haryana) को रूपये 30,000/— (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner